अपील सूचना अधिकार संख्या 67/2020 (RCMS 2020/00114) श्री राजेन्द्र सिंह भाटी, माँ बाला सती लॉ एसोसियेटस, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड़ विद्यालय रोड़, मुख्य बाजार, सरदारशहर, चुरू राजस्थान <u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (सर्त.) (न्याय शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>25.10.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी उपस्थित नहीं हुआ। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 29.02.2020 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, शास्ति अधिरोपित करने, मानसिक संताप के लिए उसे क्षतिपूर्ति दिलवाने एवं सम्पूर्ण सूचना निःशुल्क दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.02.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.01.2020 को प्रेषित पत्र (प्रति संलग्न)जो कि जरीये पंजीकृत पत्र क्रमांक RR923113481IN के माध्यम से प्रेषित किया गया था, वह पत्र आपके कार्यालय में कब प्राप्त हुआ, प्राप्ति क्रमांक, दिनांक का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में) तथा इस संबंध में आपके कार्यालय के द्वारा आज दिनांक तक संस्थित की गयी कार्यवाही मय संधारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. इस संबंध में यदि किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी तो किन नियमों के तहत उन नियमों की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियां में)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्त.) (न्याय शाखा), श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्र सीजी/वाचक/898 दिनांक 04.08.2020 एवं स्मरण पत्र, 1465/10.11.2020 एवं 1494/23.11.2020 से अपील पत्र के संबध में टिप्पणी मय कार्यालय का सम्बन्धित रिर्काड चाहा गया था जो आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना [illegible] अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सू[illegible] जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, क[illegible] दी है अथवा नहीं,? का पता नहीं चलता है। जबकि धारा 7(1) के [illegible] 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अति. जिला कलक्टर(सर्त.)(न्याय शाखा) कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और अति. जिला कलक्टर(सर्त.)(न्याय शाखा) कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार निर्णय लेवें। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर(सर्त.)(न्याय शाखा) कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested